राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–337/2014/जयपुर

ज्योति शिक्षा अनुसंधान समिति जयपुर
पंजीयन क्रमांक 107/2008–09 जरिये
सचिव हंसराज मीणा पुत्र श्री मंगलचन्द मीणा,
निवासी ग्राम पालेडा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर। .... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उपंपजीयक जमवारामगढ,
   तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. मंगलचन्द पुत्र धाडूका मीणा,
   निवासी ग्राम पालेडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर। ...अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री रघुवीर सिंह राठौड़
अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से
श्री जमील जई
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी सं. 1 की ओर से
अनुपस्थित ...अप्रार्थी संख्या 2

निर्णय दिनांक : 27.06.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर वृत्त द्वितीय जयपुर (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 13.12.2012 प्रकरण संख्या 48/2012 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उपपंजीयक जमवारामगढ द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम पालेडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 101 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा में विक्रेता प्रारूपिक अप्रार्थी सं. 2 का 1/4 हिस्सा था तथा भूमि खसरा नम्बर 102 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा के 1/4 हिस्से में 33/84 हिस्सा खातेदारी में था और राजस्व भू–अभिलेखों में इसी प्रकार इन्द्राज थे। दिनांक 21.10.2008 को विक्रेता प्रारूपिक अप्रार्थी सं. 2 ने उपरोक्त वर्णित भूमि के संबंध में एक विक्रय पत्र प्रार्थी के पक्ष में

लगातार.....2

तहरीर कर उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 101 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा का 1/4 तथा खसरा नम्बर 102 कुल रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा के 1/4 हिस्से में 33/84 हिस्सा प्रार्थी को बिल एवज 5,00,000/– रू विक्रय कर विक्रय कर विक्रय पत्र को पंजीकृत किये जाने हेतु उपपंजीयक जमवारामगढ के समक्ष प्रस्तुत किया। उपपंजीयक जमवारामगढ ने विक्रय की गई सम्पत्ति की मालियत 5,00,000/– रू होना मानते हुये उस पर 5,000/– के कमी मुद्रांक तथा 5,000/– रू के पंजीयन शुल्क कुल 10,200/– रू जरिये रसीद संख्या 2008001649 दिनांक 21.10.2008 को जमा करा दिये और उपंपजीयक जमवारामगढ ने उक्त विक्रय पत्र को पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 9, पृष्ठ सं 38, क्रम सं. 2008001638 पर दिनांक 21.10.2008 को पंजीकृत कर लिया और विक्रय पत्र प्रार्थी को लौटा दिया। तत्पश्चात् आंतरिक लेखा जांच दल पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा अंकेक्षण के दौरान यह आक्षेप लिया कि दस्तावेज के अनुसार भूमि का विक्रय शिक्षण समिति को किया गया है। भूमि सडक पर है तथा भूमि की खसरा गिरदावरी नहीं है। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण गैर कृषि का होने के कारण कृषि भूमि की तीन गुणा दर से मूल्यांकन किया जाना चाहिए और सम्पत्ति का मूल्यांकन 15,00,000/– रू. माना। उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर उपपंजीयक जमवारामगढ ने एक रेफरेन्स बनाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि सम्पत्ति का मूल्य 15,00,000/– रू निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। अधीनस्थ न्यायालय ने ऑडिट आक्षेप से सहमत होकर एकपक्षीय निर्णय पारित करते हुए सम्पत्ति की मालियत 15,00,000 रू निर्धारित करते हुये कुल मुद्रांक कर 1,20,000/– रू तथा पंजीयन शुल्क 15,000/– रू निर्धारित करते हुये अदा किये गये मुद्रांक कर 40,000/– रू तथा पंजीयन शुल्क 5,000/– समायोजित करते हुये शेष देय मुद्रांक राशि 80,000/– रू. एवं पंजीयन शुल्क 10,000/– रू तथा 200/–रू. शास्ति आरोपित करते हुये कुल 90,200/– रू. प्रार्थी से वसूल किये जाने के आदेश दिये जिसके विरूद्व प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी सं. 2 अनुपस्थित रहे।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों को पूर्णतः नजरन्दाज करते हुये कतई परवर्स निर्णय पारित किया है। दिनांक 21.10.2008 के विक्रय पत्र के द्वारा जो भूमि विक्रय की गई उस सम्पत्ति की मालियत

लगातार.....3

किसी भी अवस्था में 5,00,000/– रू से अधिक की नहीं है। प्रार्थी ने विक्रय पत्र द्वारा विक्रय की जा रही सम्पत्ति की वास्तविक मालियत अंकित करते हुये जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित की गई दर के अनुरूप देय मुद्रांक राशि व पंजीयन शुल्क अदा कर विक्रय पत्र को पंजीकृत कराया है जिसे उपपंजीयक जमवारामगढ ने नियमानुसार पंजीकृत भी कर दिया परन्तु उसके पश्चात् बिना किसी आधार व औचित्य के विक्रय की गई सम्पत्ति की मालियत 5,00,000/– रू के स्थान पर 15,00,000/– रू होना निर्धारित करते हुये प्रश्नाधीन आदेश पारित किया है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से यह भी कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है। निर्णय की जानकारी कुर्की वारंट से हुई है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में रेफरेन्स को स्वीकार करने के सम्बन्ध में कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। निर्णय नॉन स्पीकिंग व नॉन रीजण्ड है। निर्णय में तर्क, कारण व विवेचना का अभाव है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान मुद्रांक नियम 2003 के नियम 65 की पालना किये बिना व बिना कोई जांच किए रेफरेन्स स्वीकार किया है जो विधिसम्मत नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर रेफरेन्स खारिज किया जावे।

6. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावें।

7. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

8. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने तथा प्रार्थीया द्वारा धारा 5 में अंकित कारण की निर्णय की जानकारी कुर्की कार्यवाही के आधार पर हुई संतोषजनक होने के दृष्टिगत स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

9. विचाराधीन प्रकरण में रेफरेन्स आंतरिक लेखा जांच दल पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के आक्षेप के इस बिन्दु पर आधारित था कि दस्तावेज के अनुसार भूमि का विक्रय शिक्षण समिति को किया गया है। भूमि सडक पर है तथा भूमि की खसरा गिरदावरी नहीं है। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण गैर कृषि का होने के कारण कृषि भूमि की तीन गुणा दर से मूल्यांकन किया जाना चाहिए और सम्पत्ति का मूल्यांकन 15,00,000/– रू. माना। अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए रेफरेन्स यथावत स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 के अन्तर्गत कोई जांच नहीं की है व निर्णय में भी रेफरेन्स को स्वीकार करने के संबंध में कोई विवेचना या विश्लेषण नहीं किया गया है।

10. निगरानी में मुख्य आधार यह है कि निर्णय में रेफरेन्स के बिन्दुओं को बिना कोई विवेचना एवं विश्लेषण किये पारित किया है जो विधिसम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में रेफरेन्स को स्वीकार करने के सम्बन्ध में कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। निर्णय नॉन स्पीकिंग व नॉन रीजण्ड है। निर्णय में तर्क, कारण एवं विधिक विवेचना का अभाव है।

कलक्टर (मुद्रांक) अजमेर के निगरानीधीन आदेशों के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि कलक्टर (मुद्रांक) ने रेफरेन्स के तथ्यों की विवेचना किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स रेफरेन्स स्वीकार किये जाने का काई आधार स्पष्ट नहीं किया है व न ही रेफरेन्स के तथ्यों के संबंध में कोई जांच की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व बनता है कि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं की विवेचना करने के उपरान्त ही उन्हें मानने या न मानने पर तथ्यों पर आधारित अपना मत प्रकट करते, जिससे अपीलीय अधिकारी के आदेश/निर्णय के विरूद्ध अपील होने पर सम्बन्धित न्यायालय अपना निर्णय पारित करें कि अवर अधिकारी का निर्णय न्याय संगत है अथवा नहीं किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व बनता है कि वह सचेतन मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निष्पक्ष अभिव्यक्ति दें। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स,कोटा बनाम मैसर्स शुक्ला एड ब्रदर्स (Civil Appeal No. Nil of 2010/S.L.P.(C)No. 16466 of 2009), date 15.4.2010) में पारित किय गये निर्णय के कुछ अंश उद्धृत किया जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में समीचीन होगा :–

"…. To subserve the purpose of justice delivery system therefore, it is essential that the Courts should record reasons for its conclusions whether disposing of the case at admission stage or after regualr hearing."

"A litigant has legitimate expectatoion of knowing reasons for rejection of his claim/payer. It is then alone, that a party would be in a position to challenge the order on appropriate grounds. As arguments bring things hidden and obscure to the light of reasons, reasoned judgment where the law and factual matrix of the case it discussed provided lucidity and foundation for conclusions or exercise of judicial discretation by the Courts. Reason is the very life of law. When the reason of a law once ceases, the law itself generally cease. Such is the signifucance of reasoning in any rule of law. Giving reasons furthers the cause of justice as well as avoids uncertainty. As a matter of fact it helps in the observance of law of precedent . Absence of reasons on the contrary essentially introduces an element of uncertainty, dissatisfaction and give entirely different dimensions to the questions of law raised before the higher appellate Courts. When reasons are announced and can be weighed, the public can have assurance that process of corection is in place and working. It is requirement of law that correction process of judgments should not only appeaaar to be implemented but also to have been properly implemented.

लगातार.....5

Reasons for an order would ensure and enhance public confidence and would provide due satisfaction to the consumer of justice under our justice dispensation system." उपरोक्त विधिक धारणा से भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही है।

11. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि निगरानीधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया हैं तथा यदि प्रकरण में निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रतिप्रेषित किया जाता है तो न्यायिक दृष्टिकोण से प्रार्थी को सुनवाई का भी समुचित अवसर मिल सकेगा।

12. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विवेचना–विश्लेषण सहित निर्णय पारित नही करने के कारण विधिसम्मत नही होने के कारण निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुए पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.08.2017 को पेश हों।

13. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य